न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुमित्रा पारीक, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 130/2022 राजस्व अपील

1. हजारी पुत्र नाथू जाति गुर्जर निवासी उरवाडी तहसील बसवा जिला दौसा।

अपीलान्ट

बनाम

1. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार बसवा जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय तहसीलदार बसवा दिनांक 12.2.2018 मुकदमा उनवानी सरकार बनाम हजारी मु. नं. 60/2018 अन्तर्गत धारा 91 राज0 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति : श्री सतीश कुमार पारीक अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित।
: श्री राजेश शर्मा राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

:– निर्णय :– दिनांकः 07.6.2024

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का ने एक रिपोर्ट अपीलान्ट के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बसवा के समक्ष इस आशय की पेश की कि अपीलान्ट ने ग्राम उरवाड़ी तहसील बसवा में स्थित चरागाह भूमि खसरा नम्बर 597, 600, 601, 604, 602, 605 के रकबा 1.82 है. पर सरसों, गेहूं बोकर एवं पुख्ता मकान एवं गैर मुमकिन चाह बनाकर अतिक्रमण कर लिया है। पटवारी हल्का की उक्त रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को बिना सुनवाई व सबूत का मौका दिये बगैर ही निर्णय दिनांक 12.2.2018 पारित कर अपीलान्ट को तीन माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित कर दिया एवं पैनल्टी कायम कर दी। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बसवा के उक्त निर्णय दिनांक 12.2.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून नियम उप नियम व पत्रावली के तथ्यों के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। पटवारी हल्का ने अपीलांट के समक्ष प्रश्नगत भूमि का न तो मौका देखा और न ही मौका रिपोर्ट बनाई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को समुचित सुनवाई व साक्ष्य सबूत का पूर्ण अवसर नहीं देकर कानून के सामान्य सिद्वान्तों की अवहेलना कर निर्णय पारित किया है। अपीलांट के विरूद्ध पश्चातवर्ती अतिक्रमण किये जाने का भी कोई सबूत या रिकार्ड अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में नहीं है। पटवारी की रिपोर्ट भी प्रदर्शित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस की तामी अपीलांट को नहीं हुई है तामील प्रति पर किसी के हस्ताक्षर है। नोटिस पर डिस्पेच नम्बर भी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की अदम हाजरी में पारित किया गया है। अतः अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिया जाकर पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण तहसीलदार बसवा को रिमाण्ड करने की कृपा करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2024.07.30 18:32:47 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजकीय अधिवक्ता द्वारा जवाब बहस में निवेदन किया गया कि द्वारा ग्राम उरवाडी स्थित चरागाह भूमि खसरा नम्बर 597 रकबा 0.25 है0 पर गेहूं, खसरा नम्बर 600 रकबा 0.25 है0 पर सरसों, खसरा नम्बर 601 रकबा 0.36 है0 पर सरसों, खसरा नम्बर 604 रकबा 0.15 है0 पर गेहूं, 0.15 है0 पर पुख्ता मकान एवं चारदीवारी व 0.01 है. पर गै.मु. चाह, खसरा नम्बर 602 रकबा 0.15 है0 पर सरसों, खसरा नम्बर 605 रकबा 0.50 है0 पर सरसों कुल 1.82 है0 पर गेहूं, सरसों की फसल काश्त कर एवं पुख्ता मकान व गै0 मु0 चाह बनाकर अपीलांट द्वारा अतिक्रमण करने पर पटवारी हल्का द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बसवा को अतिक्रमण की रिपोर्ट पेश की गई। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। नोटिस की तामील प्रति पर जयसिंह पुत्र हजारी गुर्जर के हस्ताक्षर हैं। अपीलांट बावजूद तामील अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। अपीलांट द्वारा संवत 2073 वर्ष 2016 में भी उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया गया है जिसकी पुष्टि पटवारी हल्का रेहडिया की माह अक्टूबर 2016 की दैनिक डायरी में अंकित रिपोर्ट से होती है। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अतिक्रमण हटाने के सम्बन्ध में भी कोई दस्तावेज/शपथ प्रस्तुत नहीं किये गये है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट की तलवी हेतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किया जाकर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही करते निर्णय दिनांक 12.2.2018 पारित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा पूर्व में सम्वत 2073 वर्ष 2016 में भी उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। प्रश्नगत भूमि पर अपीलान्ट द्वारा काश्त कर पुख्ता मकान, गैर मु0 चाह भी बनाया गया है। उक्त अतिक्रमण को हटाये जाने के सम्बन्ध में इस न्यायालय में भी अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा कोई दस्तावेज/शपथ पत्र पेश नहीं किये गये है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बसवा को निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नगत अतिक्रमित भूमि से अतिक्रमण नियमानुसार हटाया जाना सुनिश्चित करे। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ अभिलेखागार की जावे।

(सुमित्रा पारीक)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally Signed by Sumitra Pareek
Date: 2024.07.30 18:52:47 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 07.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुमित्रा पारीक)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा